इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

148664 - पलकों को काला करने का हुक्म

प्रश्न

क्या एक महिला के लिए अपने पित के लिए खुद को सुशोभित करने के इरादे से एक विशेष हानिरहित डाई (मस्कारा नहीं, बिल्क एक प्रकार की डाई जो कुछ हफ्तों तक चलती है) का उपयोग करके अपनी पलकों को रंगना जायज़ है? अगर यह जायज़ है, तो पलकों को काले रंग से रंगने का क्या हुक्म है? क्या यह बालों को काले रंग से रंगने की तरह हराम है? अल्लाह आपको उत्तम बदला प्रदान करे।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

पलकों को कोहल (सुरमा) या मस्कारा या किसी अन्य प्रकार के डाई से रंगने में कोई बुराई नहीं है, अगर यह हानिकारक प्रभावों से मुक्त है और महिला इसके साथ गैर-महरम पुरुषों के सामने नहीं आती है। तथा पलकों को काले रंग से रंगने में कोई रुकावट (आपित्त) प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि यह अनुमेय है, और इस कारण कि यह कोहल (सुरमा) के समान और उससे मिलता जुलता है, तथा यह पलकों को सिर के बालों से जोड़ने से बेहतर है।

लेकिन अगर डाई ऐसी चीज़ है जो पानी को पलकों तक पहुँचने से रोकती है, तो वुज़ू करते समय इसे हटाना अनिवार्य है।

तथा प्रश्न संख्या : (113725 ) का उत्तर देखें ।

इसी तरह यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये रंग हानिकारक प्रभावों से मुक्त हैं, क्योंकि उनमें से कुछ पलकों की सूजन और पलकों के झड़ने का कारण बनते हैं। जबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है: "न खुद हानि उठाना जायज़ है और न ही किसी दूसरे को हानि पहुँचाना जायज़ है।" इस हदीस को अहमद (हदीस संख्या: 2865) और इब्ने माजा (हदीस संख्या: 2341) ने रिवायत किया है और अलबानी ने "सहीह इब्ने माजा" में इसे सहीह कहा है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।